न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 100/2016
दायरी दिनांक : 06.09.2016

अनवान

1. कमला पत्नि गोपाल जाति धाकड़ निवासी बदनपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।
2. विनोद पिता गोपाल मार्फत माता कमला पत्नि गोपाल जाति धाकड़ निवासी बदनपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।
3. आजाद पिता गोपाल मार्फत माता कमला पत्नि गोपाल जाति धाकड़ निवासी बदनपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

वादीगण....

बनाम

1. राजिया पिता कालू जाति धाकड़ निवासी बदनपुरा तहसील माण्उलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण...

उपस्थित :–

1. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता वादीगण)।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक: 13.01.2023

वादीगण द्वारा यह वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि खातेदारी की भूमि स्थित मौजा बदनपुरा पटवार हल्का श्रीनगर में स्थित कृषि खाते की भूमि जिसका गत बन्दोबस्ती ख0न0 156 जिसके वर्तमान बन्दोबस्ती खसरा सख्या 134 रकबा 18 बिस्वा, गत बन्दोबस्ती खसरा सख्या 157/1 जिसके वर्तमान बन्दोबस्ती ख0न0 136 रकबा 12 बिस्वा, गत बन्दोबस्ती ख0न0 186 जिसके वर्तमान बन्दोबस्ती ख0न0 169 रकबा 02 बीधा 04 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 03 बीधा 14 बिस्वा दर्ज होकर वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज है जिसको राजिया पिता कालू धाकड के नाम पर दर्ज कर दिया गया। जबकि कालू पिता धीसा धाकड के दो पुत्र राजिया एवं गोपाल पिता कालु धाकड़ थे। पुश्तेनी जायदाद होने से कालु पिता घीसा धाकड़ के दोनो पुत्रो राजिया एवं गोपाल के नाम बराबर–बराबर हक से नाम दर्ज होना चाहिये था। गोपाल पिता कालु धाकड़ का नाम सहवन से दर्ज किये जाने से रह गया। इसलिये गोपाल पिता कालू धाकड़ की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान् वादीगण का नाम राजिया प्रतिवादी संख्या एक के साथ जोडे जाने की घोषणात्मक डिक्री प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादी संख्या एक मानसिक रूप से विक्षिप्त होने से वादपत्र के साथ आदेश 32 नियम 01 दिवानी प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र पेश किया जाकर प्रतिवादी राजिया का वादमित्र नियुक्त कराने की अनुमति के साथ वादपत्र दर्ज किये जाने की अनुमति प्रदान करायी जावे। न्यायालय ने वादीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी। दौराने प्रकरण की कार्यवाही के राजिया प्रतिवादी संख्या एक की मृत्यु हो गयी। न्यायालय द्वारा सजरे बाबत् रिपोर्ट तलबी करने पर तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/408 दिनांक 02.03.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि सजरा सही बना होकर प्रतिवादी संख्या एक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी वादीगण ही है।

वादपत्र व तहसील की प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया गया है चूंकि मृतक प्रतिवादी संख्या एक राजिया के वारिसान, वादीगण ही है अतः तहसीलदार माण्डलगढ़ को तहरीर भिजवायी जावें कि मृतक राजिया के वारिसान् की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण खोला जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

आदेश आज दिनांक 13.01.2023 को खुले न्यायालय लिखवाया व सुनाया गया।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner